भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2879
दिनांक 18.03.2020/ 28 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

आईपीएस अधिकारियों की रिक्तियाँ

†2879. श्री अहमद हसनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में भारतीय पुलिस सेवा (आई॰पी॰एस॰) अधिकारियों के कुल संस्वीकृत और रिक्त पद कितने-कितने हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और पश्चिमी बंगाल में रिक्तियों की स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) भारतीय पुलिस सेवा में महिला अधिकारियों की संख्या के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं और क्या सरकार इस सेवा में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए इस सेवा में महिलाओं को विशेष आरक्षण देने पर भी विचार कर रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): दिनांक 01.01.2019 की स्थिति के अनुसार, आईपीएस अधिकारियों की पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार स्वीकृत संख्या और सेवारत अधिकारियों की संख्या अनुलग्नक-"क" में दी गई है।

(ख): सेवा में रिक्तियां विभिन्न कारकों जैसे कि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, सेवा से बर्खास्तगी आदि के कारण होती हैं। ये सभी कारक आवर्ती प्रकृति के हैं और भर्ती की दर के सापेक्ष हैं। आईपीएस अधिकारियों की रिक्तियों को भरने के लिए, आईपीएस (सीधी भर्ती) के बैच-आकार को सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई), 2005 में 88 से बढ़ाकर 103, सीएसई, 2008 में बढ़ाकर 130 और सीएसई, 2009 में बढ़ाकर 150 कर दिया गया है।

<u>रा.स.अ.प्र.सं. 2879</u>

(ग): दिनांक 01.01.2019 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के 26 कैडरों में 456 महिला आईपीएस अधिकारी सेवारत हैं। सेवारत महिला आईपीएस अधिकारियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-"ख"** में दिया गया है। जहाँ तक भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें आरक्षण दिए जाने का संबंध है, इस समय केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

******

रा.स. अता. प्र.सं. 2879 दिनांक 18.03.2020

अनुलग्नक- "क"

दिनांक 01.01.2019 की स्थिति के अनुसार आईपीएस अधिकारियों की राज्यवार संख्या-

| क्र.सं. | राज्य | स्वीकृत संख्या | सेवारत | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 01. | आंध्र प्रदेश | 144 | 117 | 27 |
| 02. | एजीएमयूटी | 309 | 252 | 57 |
| 03. | असम-मेघालय | 195 | 159 | 36 |
| 04. | बिहार | 242 | 212 | 30 |
| 05. | छत्तीसगढ़ | 142 | 115 | 27 |
| 06. | गुजरात | 208 | 171 | 37 |
| 07. | हरियाणा | 144 | 114 | 30 |
| 08. | हिमाचल प्रदेश | 94 | 79 | 15 |
| 09. | जम्मू और कश्मीर | 147 | 78 | 69 |
| 10. | झारखंड | 149 | 124 | 25 |
| 11. | कर्नाटक | 215 | 175 | 40 |
| 12. | केरल | 172 | 130 | 42 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 305 | 266 | 39 |
| 14. | महाराष्ट्र | 317 | 255 | 62 |
| 15. | मणिपुर | 89 | 64 | 25 |
| 16. | नागालैंड | 75 | 62 | 13 |
| 17. | ओडिशा | 195 | 120 | 75 |
| 18. | पंजाब | 172 | 141 | 31 |
| 19. | राजस्थान | 215 | 187 | 28 |
| 20. | सिक्किम | 32 | 31 | 01 |
| 21. | तमिलनाडु | 276 | 236 | 40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22. | तेलंगाना | 139 | 104 | 35 |
| 23. | त्रिपुरा | 69 | 53 | 16 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 517 | 445 | 72 |
| 25. | उत्तराखंड | 73 | 62 | 11 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 347 | 272 | 75 |
| | कुल | 4982 | 4024 | 958 |

रा.स. अता. प्र.सं. 2879 दिनांक 18.03.2020

अनुलग्नक- "ख"

दिनांक 01.01.2019 की स्थिति के अनुसार महिला आईपीएस अधिकारियों की राज्य-वार संख्या

| | | |
|---|---|---|
| 01. | आंध्र प्रदेश | 14 |
| 02. | एजीएमयूटी | 34 |
| 03. | असम-मेघालय | 17 |
| 04. | बिहार | 17 |
| 05. | छत्तीसगढ़ | 05 |
| 06. | गुजरात | 15 |
| 07. | हरियाणा | 15 |
| 08. | हिमाचल प्रदेश | 17 |
| 09. | जम्मू और कश्मीर | 03 |
| 10. | झारखंड | 13 |
| 11. | कर्नाटक | 18 |
| 12. | केरल | 13 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 23 |
| 14. | महाराष्ट्र | 22 |
| 15. | मणिपुर | 08 |
| 16. | नागालैंड | 11 |
| 17. | ओडिशा | 20 |
| 18. | पंजाब | 15 |
| 19. | राजस्थान | 26 |
| 20. | सिक्किम | 03 |
| 21. | तमिलनाडु | 40 |
| 22. | तेलंगाना | 18 |
| 23. | त्रिपुरा | 06 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 41 |
| 25. | उत्तराखंड | 13 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 29 |